भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2735
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विशेष धनराशि का प्रावधान

2735. श्री नीरज मौर्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान करने हेतु सभी राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त धनराशि का प्रावधान न करने या उक्त सड़कों के रखरखाव और मरम्मत में योगदान न करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी सड़क कार्यों का शुरूआती पंचवर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। संविदा को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजटीय प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है और एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास रखा जाता है। निर्माण के बाद पाँच-वर्षीय रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को जोनल रखरखाव अनुबंधों के

अंतर्गत लाया जाना आवश्यक है , जिसमें समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित पाँच-वर्षीय रखरखाव शामिल है , जिसका वित्तपोषण भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता को भी पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि किसी कार्य की ग्रेडिंग असंतोषजनक पाई जाती है , तो संबंधित राज्य सरकार को उसे सुधारने/मरम्मत कराने के लिए सूचित किया जाता है।

दोष दायित्व अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के लिए , ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) - एक ई-गवर्नेंस समाधान , सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई कार्यों के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष तक (अर्थात दोष दायित्व अवधि-डीएलपी के तहत) रखरखाव की निगरानी के लिए लागू किया गया है।

(ग) से (ङ): जी हाँ , मंत्रालय ने रखरखाव दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से संबंधित कई कदम उठाए हैं। ये कदम इस प्रकार हैं:

(i) योजना के कार्यान्वयन के समय , प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है , जिसमें रखरखाव के दोनों चरणों - निर्माण के बाद के शुरुआती 5 वर्ष और उसके बाद के 5-वर्षीय रखरखाव चक्र (नवीनीकरण सहित) के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। यह प्रतिबद्धता योजना में भागीदारी के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

(i i) राज्यों को कार्यक्रम निधि का केंद्रीय अंश जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखरखाव निधि के समय पर जारी किए जाने पर निर्भर है। मई के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से यह प्रमाणन आवश्यक है कि चालू वर्ष की रखरखाव आवश्यकता का कम से कम 50% पूरा हो गया है , और नवंबर के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए, चालू वर्ष की आवश्यकता के लिए जारी 100% निधि उपयोग का प्रमाणन आवश्यक है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव निधि के प्रावधान और रखरखाव के दायित्व की समीक्षा की जाती है। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के संबंध में अपने आवधिक निरीक्षण समय पर पूरे करें।

****